



राजस्थान सरकार
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
जोधपुर 342304 राजस्थान, भारत

नीलामी सूचना 01 / 2025-26

कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के सावंत कुआ (बावडी) स्थित फार्म (खसरा संख्या 327 व 328) पर खड़े विलायती बबूल (प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा) को जड सहित उखाड़कर ले जाने की नीलामी बोली आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी विस्तृत विवरण एवं जानकारी

www.sppp.rajasthan.gov.in, व www.aujodhpur.ac.in पर उपलब्ध है।

UBN NO: JAU2526GSOB00013

नियंत्रक (वित्त)

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
COMPTROLLER
Agriculture University
Jodhpur



**AGRICULTURE UNIVERSITY,
JODHPUR**

JODHPUR 342304, Rajasthan, India

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

जोधपुर 342304 राजस्थान, भारत



Tele fax : 0291-2570711(O) E-mail: comptrollerfin@gmail.com

F.3 () /Acctt. /AU/Jodhpur/ 2025-26 / 41

Date : 05/05/2025

नीलामी 01 / 2025-26 प्रपत्र

विलायती बबूल (प्रोसोफिस जूलीफलोरा) की नीलामी हेतु

बोली प्रपत्र शुल्क रु 590 /—(अक्षरे रु. पाँच सौ नब्बे मात्र) बोली प्रपत्र संख्या 01 / 2025-26 डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक..... वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर, (Comptroller, Agriculture University, Jodhpur) के पक्ष में भुगतान योग्य होना चाहिए।

बोली सूचना के तहत कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के सावंत कुआ (बावड़ी) स्थित फार्म (खसरा संख्या 327 व 328) पर खड़े विलायती बबूल (प्रोसोफिस जूलीफलोरा) की नीलामी हेतु बोली प्रपत्र धरोहर राशि रु. 19000 /—(अक्षरे रु. उन्नीस हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक..... वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर, (Comptroller, Agriculture University, Jodhpur) के पक्ष में भुगतान योग्य होना चाहिए।

बोलीदाता का नाम व पूरा पता:.....

PAN No..... GST No.

दूरभाष नंबर यदि हो:मोबाइल नंबर

क्र. सं.	विवरण	नीलामी राशि
1.	कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के सावंत कुआ (बावड़ी) स्थित फार्म (खसरा संख्या 327 व 328) पर खड़े विलायती बबूल (प्रोसोफिस जूलीफलोरा) को जड़ सहित उखाड़कर ले जाने की नीलामी अनुमानित कीमत 9.50 लाख।	

किसी भी प्रकार का देय कर बोलीदाता द्वारा दी गयी दर के अतिरिक्त बोलीदाता द्वारा देय होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता


नाम व पता:.....

मोबाइल नंबर

वित्त नियंत्रक कार्यालय
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

विलायती बबूल (प्रोसोफिस जूलीपलोरा) की नीलामी हेतु शर्तें

1. इच्छुक बोलीदाता निर्धारित प्रपत्र में बोली भरकर कार्यालय समय में दिनांक 20.05.2025 को प्रातः 11.30 बजे तक बंद लिफाफे में मय धरोहर राशि रु. 19000/- (उन्नीस हजार अक्षरे रुपए मात्र) आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।
2. किसी फर्म का अधिकृत प्रतिनिधि नीलामी हेतु उपस्थित होने पर लेटर पेड पर अधिकृत होना चाहिये एवं हस्ताक्षर प्रमाणित होने चाहिये।
3. विश्वविद्यालय के सावंत कुआं (बावड़ी) फार्म (खसरा संख्या 327 व 328) पर खड़े विलायती बबूल (प्रोसोफिस जूलीपलोरा) जहां है जिस हालात में है) को जड़ सहित उखाड़कर ले जाने की नीलामी होगी।
4. बोलीदाता विज्ञापन के पश्चात् कार्यालय समय के दौरान विलायती बबूल (प्रोसोफिस जूलीपलोरा) जहां है जिस हालात में है) का निरीक्षण कर सकता है।
5. शर्त नीलामी की बोली स्वीकार नहीं कि जावेगी। ड्रे-मेल द्वारा प्रेषित बोली मान्य नहीं होगी।
6. निविदा प्रपत्र तथा निविदा की शर्तें अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से 590/- रुपये जमा करवाकर कार्यालय समय में दिनांक 20.05.2025 की सुबह 11.00 तक बजे तक प्राप्त की जा सकती है।
7. प्राप्त प्रपत्रों का निस्तारण उसी दिन दोपहर 02.00 बजे पश्चात् उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष कर दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को कार्य आदेश जारी होने के पश्चात् असफल बोलीदाताओं को धरोहर राशि लौटा दी जावेगी।
8. सफल बोलीदाता को 2 दिवस की अवधि में सम्पूर्ण बोली राशि जमा करवानी होगी, अन्यथा नियमानुसार जुर्माना कार्यवाही की जाएगी।
9. बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा की विलायती बबूल (प्रोसोफिस जूलीपलोरा) को जड़ सहित निकालते समय संस्थान की चल-अचल सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। अगर किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
10. विलायती बबूल (प्रोसोफिस जूलीपलोरा) की नीलामी राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के कर का वहन ठेकेदार करेगा। संस्थान किसी भी प्रकार के कर के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
11. विलायती बबूल (प्रोसोफिस जूलीपलोरा) को जड़ सहित उखाड़कर ले जाने का कार्य तकनीकी कर्मचारी की देखरेख में व संस्थान समय (प्रातः 9:00 से सांय 5:00 बजे के मध्य) में ही सम्पन्न करना होगा। विलायती बबूल (प्रोसोफिस जूलीपलोरा) को ले जाने का कार्य सफल नीलामी आदेश के पश्चात् 20 दिवस में पूर्ण करना होगा। रविवार व अन्य राजकीय अवकाश को कार्य नहीं होगा।
12. उपरोक्त कार्य हेतु संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे।
13. निविदा की उचित बोली नहीं आने पर बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
14. सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम व RTPP ACT 2012 व RTPP Rules 2013 के प्रावधान एवं शर्तें लागू होगी।


वित्त नियंत्रक